[200] 2 एस.सी.आर. 868

ए. वेंकटकृष्णन

बनाम

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

2009 की दीवानी अपील संख्या 1120

19 फरवरी, 2009

(डॉ. अरिजीत पसायत एवं डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्ति गण)

तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 - संविदा वाहन — कर की दर में बार-बार वृद्धि — अपीलकर्ता द्वारा चुनौती — याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त — अपील पर अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाएँ अत्यंत अस्पष्ट थीं — अपीलकर्ता ने प्रारंभिक प्रमाण-भार का निर्वहन नहीं किया — उसने कर की दर में असंगत वृद्धि के संबंध में कोई सांख्यिकीय आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए — राज्य द्वारा विवादित कर दर को उचित ठहराने हेतु परिमाणात्मक एवं मापन योग्य आँकड़े प्रस्तुत करना आवश्यक है — विषय लोकमहत्व का होने के कारण अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता देते हुए अपील वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है कि वह समुचित रिट याचिका दायर कर सके।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998, जिसके द्वारा प्रारंभ में संविदा वाहनों के संबंध में कर की दर ₹1500 प्रति सीट प्रति तिमाही से बढ़ाकर ₹2000 प्रति सीट प्रति तिमाही की गई तथा तत्पश्चात् ₹2000 प्रति सीट प्रति तिमाही से बढ़ाकर ₹3000 प्रति सीट प्रति तिमाही की गई, वैध थी या नहीं।

अपील निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 अपीलकर्ता द्वारा प्रारंभिक प्रमाण-भार का निर्वहन ही नहीं किया गया, इस अर्थ में कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाएँ अत्यंत संक्षिप्त एवं अस्पष्ट थीं। इस प्रकार की चुनौती के लिए यह आवश्यक था कि अपीलकर्ता कर की दर में

असंगत वृद्धि के संबंध में सांख्यिकीय आँकड़े प्रस्तुत करे, तभी राज्य को विवादित दर को उचित ठहराने हेतु परिमाणात्मक एवं मापन योग्य आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता था। अंततः, रिट याचिकाओं में किए गए आरोपों का प्रत्युत्तर देना राज्य का दायित्व होता है, और यदि रिट याचिकाओं में किए गए आरोप अस्पष्ट, अशुद्ध अथवा अपर्याप्त हों, तो राज्य के लिए न्यायालय के समक्ष अपना प्रत्युत्तर/आँकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। [कंडिका 6] [870; 871-जी]

1.2 इन मामलों में, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन समानुपातिकता के सिद्धांतों तथा *जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड* के मामले में प्रतिपादित विधि के परवर्ती विकास के संदर्भ में, लोकमहत्व के प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। अतः अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता देते हुए दीवानी अपील वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है कि वह समुचित रिट याचिका दायर कर सके, यदि उसे ऐसी सलाह दी जाए। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल याचिकाओं में किए गए अभिकथनों पर आधारित है। [कंडिका 10 एवं 11] [871-एफ; 871-872-जी-एच]

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (2) एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2006) 7 एस.सी.सी. 241; *तमिलनाडु ओमनी बस ओनर्स एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य*, दीवानी अपील संख्या 1177/2006, जिसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2007 को किया गया — संदर्भित।

नजीर संदर्भ

(2006) 7 एस.सी.सी. 241 — संदर्भित — कंडिका 7, 10

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की दीवानी अपील संख्या 1120

मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 18618/2003, 18619/2003, 18620/2003 तथा 18621/2003 में दिनांक 19.11.2005 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से : किरण सूरी।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस निर्णय को दी गई है, जिसके द्वारा अनेक रिट याचिकाएँ एवं रिट अपीलें, जिनमें रिट याचिका संख्या 18618/2003 से 18621/2003 सम्मिलित हैं, निरस्त कर दी गई थीं।

3. वर्तमान दीवानी अपील में विचारणीय प्रश्न तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 की संवैधानिक वैधता को चुनौती से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रारंभ में संविदा वाहनों के संबंध में कर की दर ₹1500 प्रति सीट प्रति तिमाही से बढ़ाकर ₹2000 प्रति सीट प्रति तिमाही की गई तथा तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या 1184 दिनांक 30.11.2001 द्वारा उक्त दर को ₹2000 प्रति सीट प्रति तिमाही से बढ़ाकर ₹3000 प्रति सीट प्रति तिमाही कर दिया गया, जो 1 दिसंबर, 2001 से प्रभावी हुई।

4. इस चुनौती का आधार संविदा परिवहन के मालिकों पर स्टेज परिवहन की तुलना में पड़ने वाला असमान बोझ है। सामान्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि करारोपण में कोई युक्तियुक्तता नहीं है, कि यह कर भेदभावपूर्ण ढंग से अधिरोपित किया गया है, कि इसका उपयोग चरण-वाहनों को पार-सहायता (क्रॉस-सब्सिडाइज) देने हेतु किया जा रहा है तथा संविदा वाहन स्वामियों पर असमान भार डाला गया है, जबकि संविदा वाहनों का प्रदत्त सेवाओं अथवा सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है।

5. सामान्यतः इस प्रकार के मामलों में परिमाणात्मक आँकड़े ही चुनौती का आधार बनते हैं। वर्तमान स्तर पर याचिका में ऐसा कोई विवरण नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से चुनौती के आधारों का स्पष्ट प्रतिपादन होना आवश्यक था, जो कर की दर की असंगतता को दर्शाने वाले सांख्यिकीय आँकड़ों पर आधारित हो। केवल उसके पश्चात् ही यह भार राज्य पर स्थानांतरित होता कि वह परिमाणात्मक एवं मापन योग्य आँकड़े प्रस्तुत करे।

6. वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा प्रारंभिक प्रमाण-भार का निर्वहन ही नहीं किया गया, इस अर्थ में कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाएँ अत्यंत संक्षिप्त एवं अस्पष्ट थीं। इस प्रकार की चुनौती के लिए यह आवश्यक था कि अपीलकर्ता अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे, तभी राज्य को विवादित दर को उचित ठहराने हेतु परिमाणात्मक एवं मापन योग्य आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता था। अंततः, रिट याचिकाओं में किए गए आरोपों का प्रत्युत्तर देना राज्य का दायित्व होता है और

यदि रिट याचिकाओं में किए गए आरोप अस्पष्ट, अशुद्ध अथवा अपर्याप्त हों, तो राज्य के लिए न्यायालय के समक्ष अपना प्रत्युत्तर/आँकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा।

7. इन मामलों में एक अन्य पहलू का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है। पूर्व में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि करारोपण प्रतिपूरक कर है। इस संबंध में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है, जिनमें *जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (2) एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य* [(2006) 7 एस.सी.सी. 241] का नवीनतम निर्णय सम्मिलित है।

8. हमारे विचार में, कर की दर में यह बार-बार होने वाली वृद्धि, विशेष रूप से स्टेज वाहन की तुलना में कॉन्ट्रैक्ट वाहन पर इसका अधिक प्रभाव, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न खड़े करता है। की तुलना में अधिक पड़ती है, लोकमहत्व का प्रश्न उत्पन्न करती है। साथ ही, राज्य को ऐसे आँकड़े प्रदर्शित करने होंगे, जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि यदि किसी दिए गए मामले में पार-सहायता विद्यमान है, तो चरण-वाहनों को लोकहित में किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है।

9. विवाद के व्यापक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जबकि प्रारंभिक स्तर पर अभिवचन अपर्याप्त थे।

10. इस कठिनाई को समझते हुए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षतापूर्वक यह निवेदन किया कि वह वर्तमान दीवानी अपील को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, इस स्वतंत्रता के साथ कि उच्च न्यायालय के समक्ष आवश्यक विवरण एवं उपलब्ध आँकड़ों सहित समुचित रिट याचिका दायर कर सकें। सामान्यतः, हम ऐसी अनुमति प्रदान नहीं करते। तथापि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन मामलों में, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन समानुपातिकता के सिद्धांतों तथा *जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड* (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के परवर्ती विकास के संदर्भ में, लोकमहत्व के प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

11. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम वर्तमान अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता देते हुए दीवानी अपील वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हैं कि यदि उसे ऐसा करने की सलाह दी जाए, तो वह समुचित रिट याचिका दायर कर सके। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च

न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं दिखाई देती, क्योंकि वह मूलतः याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में किए गए अभिकथनों पर आधारित है। उपरोक्त के अधीन, दीवानी अपील बिना व्यय आदेश के निरस्त की जाती है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि उच्च न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक विवरण एवं उपलब्ध आँकड़ों सहित समुचित रिट याचिका दायर की जाती है, तो आक्षेपित निर्णय में की गई कोई भी टिप्पणी अपीलकर्ता के मार्ग में बाधक नहीं होगी। दोनों पक्षों के सभी कथन एवं अधिकार स्पष्ट रूप से खुले रखे जाते हैं।

12. इसी प्रकार का आदेश मामलों के एक समूह में भी पारित किया गया था, अर्थात् *तमिलनाडु ओम्नी बस ओनर्स एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य* (अर्थात् दीवानी अपील संख्या 1177 वर्ष 2006 आदि, जिसका निस्तारण दिनांक 28.11.2007 को किया गया)।

13. उपरोक्त के अधीन, दीवानी अपील बिना व्यय आदेश के निरस्त की जाती है।

एन.जे. अपील निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।